SHRI R. KUMARAMANGALAM: With regard to outstandings, Mr. Chairman, Sir, as I said earlier, we have a programme of securitisation. When we securities it, that will be a period for which those bonds would be there, maybe, for ten years, may be, twelve years. These outstandings will be got cleared over that period of time from the point of view of totally settling the accounts. But, from the point of view of the NTPC, it is cleared the moment we receive a negotiable bond. These will be soon settled. That is why we are concentrating on ensuring that current dues are payable and LCs are updated to cover the current dues.

"फेरा" को "फेमा" से बदले जाने का प्रभाव

*24. **प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक: †

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1998 (फेमा) के आने से विदेशी मुद्रा के गबन में संलिप्त व्यक्तियों का मनोबल बढ़ा है तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के गबन के मामलों में वृद्धि हो जायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि "संवेदनशील" तथा "अति-संवेदनशील" मामलों की जांच "फेमा" के तहत होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशी मुद्रा के गबन में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके गबन को रोकने तथा संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील मामलों की जांच कराने के लिए सरकार क्या तरीका अपनाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गबन के मामलों पर सामान्य आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है और यहां तक कि विद्यमान "फेरा", 1973 और प्रस्तावित विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1998 के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के गबन के पहलू पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने हेतु ऐसा कोई उपबंध विद्यमान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, "फेमा" के प्रवृत्त होने के पश्चात होने वाले अतिक्रमण/उल्लंघन "फेमा" के उपबंधों के तहत शासित होंगे। यद्यपि "फेमा" के प्रवृत्त होने के पश्चात् "फेरा" को निरस्त कर दिया जाएगा फिर भी विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक के खंड 49(3)(क) में प्रावधान है कि उस अधिनियम के प्रचलन के दौरान निरस्त अधिनियम के अपराधों/उल्लंघनों को, यह मानते हुए कि वह अधिनियम निरस्त नहीं हुआ है, निरस्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा ही शास्ति किया जाएगा। इस प्रकार, विधेयक के विद्यमान उपबंधों के अनुसार "फेरा" के प्रचलन के दौरान हुए उल्लंघनों के मामले, चाहे वे संवेदी रहे हों अथवा "अति संवेदनशील", उन्हें "फेरा" के उपबंधों के तहत विनिपमित किया जाएगा और "फेमा" के प्रवृत्त होने के पश्चात होने वाले आपराधिक मामलों को "फेमा" के उपबंधों द्वारा ही विनियमित किया जाएगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, विदेशी मुद्रा के विनियमन और उसकी गड़बड़ियों को रोकने के लिए अभी तक जो अधिनियम अस्तित्व में था विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम वह सक्षम अधिनियम था और है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसका नाम "फेमा" कर के एक अलग अधिनियम लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, माननीय मंत्री जी बताएंगे?

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि फेमा के आने के बाद भी जो गड़बड़ियां हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पूरे प्रावधान होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में व्यवस्था थी की धारा 56 और धारा 57 के अन्तर्गत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय चला सकता था, क्या वह धाराएं या वैसी व्यवस्था या वैसा प्रावधान "फेमा" में रखे जाने का प्रावधान है?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, जो फॉरेन एक्सचेंज मेनेजमेंट बिल 1998 सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसे मैंने दूसरे सदन में पेश कर दिया है और वह आज के दिन संसद् की जो स्टेंडिंग कमेटी है, उसके विचाराधीन है। ज़ाहिर है कि संसदीय समिति विचार करने के बाद अपने कई सुझाव सरकार के समक्ष रखेगी और जैसी प्रक्रिया है संसदीय समिति की उन सिफारिशों को हम गम्भीरतापूर्वक और ध्यान से देखेंगे और उसके बाद जो अन्तिम प्रारूप होगा, उसको हम दोनों सदनों के समक्ष लाएंगे। उस समय काफी हमारे पास समय होगा

†सभा में यह प्रश्न श्री रमा शंकर कौशिक द्वारा पूछा गया।

उसके प्रावधानों के ऊपर विचार-विमर्श करने के लिए। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि 1991 से इस देश में आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू हुआ। समय-समय पर सरकारें जो रही हैं, उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन किया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में भी संशोधन किया है। जब हमने विचार किया, इस तरह की एक समिति का भी गठन हुआ था। उस समिति ने सिफारिश दी थी जब माननीय विरोधी दल के नेता वित्त मंत्री थे और लगभग तीन सरकारों ने इस पर विचार करने के बाद अंततः इस समिति की सिफारिशों को देखते हुए और बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए हमने जैसा मैंने दूसरे सदन में कहा इस पर जो विस्तृत एक नया विधेयक लाना चाहिए उसका प्रारूप प्रस्तुत किया है और बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 1973 का जो कानून है जिसमें 1993 में परिवर्तन लाया गया था उन सब परिवर्तनों के बावजूद भी आज की जो परिस्थिति है उससे डील करने के लिए वह कानून उपयुक्त नहीं है और इसलिए उसमें संशोधन लाया गया है। साथ-साथ मैं सदन को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल में परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन जो गंभीर अपराध है वह ऐसा नहीं है कि उनको हम खुली छूट दे रहे हैं, यह सही है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल के तहत जो सुझाव है वह यह है कि हम उसके जो आफेंसेज़ हैं उनको क्रिमिनल नेचर से हटाकर सिविल नेचर का कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक मनी लॉन्डरिंग बिल भी हमने दूसरे सदन में पेश किया जिसमें जो गंभीर अपराध है उनके साथ निबटने के पूरे प्रावधान उसमें हैं। वह दोनों विधेयक के प्रारूप संसदीय समिति के समक्ष हैं और उस पर संसदीय समिति विचार कर रही है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, प्रश्न यह नहीं है कि उदारीकरण के लिए इनको कौन सी चीज़ों का प्रावधान करना है, प्रावधान वह करें, उदारीकरण के विरोध में इस समय हम बात नहीं कर रहे हैं, सवाल तो इस बात का है कि जो गंभीर अपराध की व्यवस्था फेरा जैसे कानून में थी वह व्यवस्था क्यों खत्म की जा रही है? 56 और 57 की धाराओं के मुताबिक आपराधिक मुकदमें उन पर चल सकते थे, लेकिन अब सामान्य चलेंगे। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के जरिए छापे डाले जा सकते थे। छापे डालने के बाद उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता था। लेकिन गड़बड़ी करने वालों को आज छूट दी जा रही है। सवाल तो इस बात का है कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को था वह उससे क्यों छीना जा रहा है? संपत्ति जब्त करने का जो अधिकार था, जो ऐसी गड़बड़ वाली संपत्ति थी जो गबन के जरिए इकट्ठी की गई थी, उस पर अंकुश रखने के लिए और उसको जब्त करने के अधिकार को भी खत्म करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? उदारीकरण के लिए जो और प्रावधान करने हों वे करें, उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात पर है कि प्रवर्तन निदेशालय को जो दंतविहीन बनाया जा रहा है और एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जो इस तरह के गबन करने के आदी रहे हैं और उल्लंघनकर्ता रहे हैं उनको जो छूट दी जा रही है उस पर आपत्ति है, इस पर माननीय मंत्री जी कृपया बताएं?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, मैंने इससे पहले काफी विस्तार से बताया कि यह आवश्यक क्यों हुआ। अगर उसके और भी विस्तार में जाएं तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि 1973 के एक्ट से पहले भी 1947 में जो एक्ट बना था, वह सब उन परिस्थितियों में बने थे जब देश के सामने विदेशी मुद्रा का भारी संकट था। इसलिए हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान देकर और हर बात को कानून का उल्लंघन मान कर हम उस पर विचार कर रहे थे। इन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, उदारीकरण के दौर में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। विदेशी पूंजी के निवेश को देश के अंदर लाने के लिए जो व्यापार का क्षेत्र है, उस में सारा कुछ कैसे उस का इंतजाम होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम रुपए को परिवर्तनीय करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो उस समय रुपए को पूर्णतः करेंट अकाउंट या चालू खाते में परिवर्तनीय कर दिया गया। अब उन सारी बातों का इस फेरा के 1973 के प्रावधान से कोई लेना-देना नहीं था। जैसा मैंने कहा कि 1993 में उस में कुछ संशोधन लाए गए थे जो कि 1994 में लागू हुए, लेकिन जब इस पर विचार-विमर्श हुआ, हम ने विधि मंत्रालय की भी सलाह ली। उस समय की सरकार और सभी लोगों ने कहा कि जो 1973 का कानून है, यह अब बिल्कुल ही माकूल नहीं है। इसलिए इस कानून में संशोधन करने के बजाय, उस में चिपकी लगाने के बजाय, आप एक नया कानून लाइए। उस पर जैसा मैंने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आज जो विदेशी मुद्रा की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, जो रुपया चालू खाते में परिवर्तनीय हो गया

है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह नए कानून का प्रारूप लाया है और यह विचाराधीन है। लेकिन मैं बार-बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस का यह कतई मतलब नहीं हुआ कि जो गंभीर अपराध करने वाले लोग हैं, उन को हम ने खुली छूट दे दी है। अभी तक रुपया जो पूंजीगत खाता है या कैपिटल अकाउंट है, उसमें परिवर्तनीय नहीं हुआ है, इसलिए उसका जो उल्लंघन करेगा, वह दंड का भागी होगा। सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि अब हम ने काफी कुछ जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस प्रारूप के तहत दी है और उसके तहत अब यह एक सिविल आफेंस होगा। यह किसी का सोचना कि जो कानून में परिवर्तन होगा तो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकार थे, उसमें कमी आएगी, उसके ऊपर हमें कोई आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I understand aetiological, political and economic justification. I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry of Finance consulted the Enforcement Directorate while framing the Bill. This is part (a) of my question. Part (b) of my question is, is he aware that the Enforcement Directorate is of the view that the Bill really dilutes the provision for taking punitive action against serious offences? I would also like to know whether he is aware that the study team that was set up made certain recommendations and those recommendations have not been taken into consideration by the Government.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I would like to say that hon. Member, Mr. Gurudas Das Gupta, is a Member of that Standing Committee. I am also aware of the suggestion which he is making. But, let me tell him that when the Government brings any draft legislation before the Parliament, it consults everybody who needs to be consulted. The Enforcement Directorate is a part of the Government. It is not an agency outside the Government.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the Enforcement Directorate is on record saying that the Government did not consult them. It is a nodal agency. Let the hon. Minister answer this question.

SHRI YASHWANT SINHA: I am not bound to answer this question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, that is the point.

SHRI YASHWANT SINHA: It is an internal matter. But, even then, I would like to tell you that you could have asked this question in the Standing Commitee in which you are a Member. Every department of the Government, which is concerned with this question, has been counslted. As far as other issues are concerned, the time is running out ...(*Interruptions*)....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He has accepted that the Enforcement Directorate has not been consulted ...(*Interruptions*)...Sir, the hon. Minister is not denying ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: I accept nothing ...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the hon. Minister is not denying ...(*Interruptions*)...

SHRI MD. SALIM: You are asking a *swadeshi* man about *videshi mudra* ! ...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, what is this? ...(*Interruptions*)... He is not denying. The Enforcement Directorate is in-charge for implementation ...(*Interruptions*)... It has not been consulted. The hon. Minister has not replied to my question.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I have answered the question as specifically as it is capable of a reply. And, if Mr. Gurudas Das Gupta wants to draw comfort from any misunderstanding to what I have said, he is most welcome to do that.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, it is on record that the Enforcement Directorate said that it has not been counsulted.

SHRI YASHWANT SINHA: Where is that record? ...(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is on record ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: No ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

आयकर कर्मचारी महासंघ (वर्ग-ग), नई दिल्ली द्वारा आन्दोलन किया जाना

*22. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर कर्मचारी महासंघ (वर्ग-ग), नई दिल्ली मंडल ने अपनी मांगों के समर्थन में 3 नवम्बर, 1998 को मयूर भवन स्थित अपने कार्यालय पर धरना व प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) आयकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के "ख", "ग" और "घ" समूह के स्थानीय कार्यालय पदाधिकारियों द्वारा 3.11.98 को मयूर भवन पर भोजनावकाश के दौरान 1.30 बजे दोपहर को एक गेट मीटिंग बुलाई गई थी।

(ख) कर्मचारी मुख्यतः 5वें वेतन आयोग द्वारा "ख", "ग" और "घ" कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सिफारिश किए गए वेतनमानों के स्थान पर एवजी उच्च वेतनमानों की मांग कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर मांगों पर विचार किया जा रहा है।

Illegal drawal of power by West Bengal

*25. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "West Bengal steals power alleges NTPC" which appeared in Ananda Bazar Patrika dated the 14th October, 1998;

(b) whether CMD, NTPC had alleged illegal drawal of 80 to 100 MW power by West Bengal from Eastern Zone Grid, as reported;

(c) whether this allegation has been investigated by CEA;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether any action would be taken if the allegation is found wrong; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The CMD, NTPC has clarified that he did not make any such allegation.

(c) to (f) Do not arise.

स्थायी खाता संख्या दिया जाना

*26. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 31 अक्तूबर, 1998 तक स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिये 1.4 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि नहीं, तो इन आवेदनों की वास्तविक संख्या क्या है और क्या आवेदकों को स्थायी खाता संख्या देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तिथि निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थायी खाता संख्या विलम्ब से दिए जाने से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?